

STANDARD BID DOCUMENTS/NOTICE

NOTICE

For

E-Auction for rent of Canteen situated on Terrace Floor in Municipal Corporation, Karnal office

E-Auction portal: <https://auctions.ulbharyana.gov.in>

For site visit and other estate related queries may contact:

Name of Concerned Officer	Contact Number	Address
Office of the Municipal Corporation, Karnal.	82951-00523	Municipal Corporation, Karnal, Bays No. 11-16, Sector-12, Karnal.
	92558-37747	

Helpline for E-Auction related and payment related issues, please contact below:

For site visit and other estate related queries may contact:

Name	Contact Number	E-mail ID
-----	0172-5210290/291	ulbauction@hkcl.in



URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

STANDARD BROCHURE CONTAINING DETAILED TERMS AND CONDITIONS FOR E-AUCTION OF CANTEEN SITUATED ON TERRACE FLOOR OF MUNICIPAL CORPORATION, KARNAL OFFICE.

1	Auction Publishing on Portal	12.03.2026
2	Online Processing Fee Mode	Debit Card (RUPAY only)/UPI/Net Banking.
3	EMD Submission Mode	Net Banking & NEFT/RTGS (via Challan)
4	Online Processing Fee and EMD Fee Submission Start Date and Time	13.03.2026 at 2:00 PM
5	Online Processing Fee and EMD Fee Submission End Date and Time	19.03.2026 at 4:00 PM
6	Online Bidding (eAuction Start Date)	20.03.2026 at 2:30 PM
7	Registration and service charge	The intending bidders must first register himself on the auction portal for creating his Login ID to receive updates pertaining to auction. The registration shall be valid for 1 year (One Year) only. Additionally, bidder must pay a non-refundable service charge of Rs. 1,000/- (One Thousand only) + GST for each selected property group. The registration fee must be paid online at https://auctions.ulbharyana.gov.in on or before the specified date and time.
8	Online Payment of Earnest Money Deposit (EMD)	All the intending bidders must submit Rs. 10,000/- as Earnest Money (EMD) through NET Banking or RTGS/NEFT by generating a challan for the e-auction.

Note: Those bidders already registered on e-Auction Portal are not required to register again, and the bidder registration will be valid for one year from the date of the registration on e-Auction Portal.

Contact Us		
1	Linke for e-Auction Portal	https://auctions.ulbharyana.gov.in
2	Helpline Number	0172-5210290/291
3	E-mail ID	ulbauction@hkcl.in
4	Help Desk	Technical support/assistance during e-auction will be available on telephone number 0172-5210290/291.
5	Help Desk Timing	Mondy to Friday (9:00 AM to 5:00 PM) on working day only at ULB Helpline Number 0172-5210290/291.

Important Note: In case of any queries or issue faced by the bidder, he/she should send their queries/issues to our official e-mail ID's alongwith screenshot of error page and contact details.

Also, they must contact our help desk 2 hours prior of the scheduled a-Auction closure.


Help Desk will remain closed on all Saturdays, Sundays and public holidays.



Auction Details

The Municipal Corporation, Karnal invites the general public/reserved participants to participate in public/reserved E-auction of the municipal property with following details:-

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | Use Type | Canteen |
| 2. | Building Type | Constructed Canteen on Terrace Floor of MC Karnal office |
| 3. | Site Address | Municipal Corporation, Karnal, Bays No. 11-16, Sector-12, Karnal. |
| 4. | Total Area of the site (In Sq. Mtr.) | Total 196.71 Sq. Mtr. <ul style="list-style-type: none">• 138.73 Sq. Mtr. Cafeteria Serving Area• 15.22 Sq. Mtr. Cafeteria Serving Area• 33.56 Sq. Mtr. Cafeteria Kitchen• 9.20 Sq. Mtr. Multipurpose Area |
| 5. | Reserve Price for the property (In Rs.) | Rs. 10,000/- |
| 6. | Photos of the Canteen: | |





Handwritten signature in green ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten mark in blue ink.

Handwritten mark in blue ink.






Handwritten signature in green ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



STATEMENT OF MUNICIPAL PROPERTY PROPOSED TO BE AUCTIONED

TERMS & CONDITIONS FOR E-AUCTION

of Residential or Industrial, or Institutional or Vacant Land or Commercial Complex
(Booth, SCO's, SCF, SCR) or Any other which are Governed by Layout/Zoning Plan)

Sr. No.	Description	Details Required
1	Name of the District	Karnal
2	Name of the Municipality	Municipal Corporation, Karnal
3	Address of the property including ward no.	Bays No. 11-16, Sector-12, Karnal Ward No. 11
4	Property Type	Constructed Canteen on Terrace Floor of Municipal Corporation, Karnal office.
5	Area of the Property (In Sq. Mtrs.)	Total 196.71 Sq. Mtr. <ul style="list-style-type: none">• 138.73 Sq. Mtr. Cafeteria Serving Area• 15.22 Sq. Mtr. Cafeteria Serving Area• 33.56 Sq. Mtr. Cafeteria Kitchen• 9.20 Sq. Mtr. Multipurpose Area
6	Reserve Price of the Property	Rs. 10,000/-

“नगर निगम, करनाल कार्यालय की टॉप फ्लोर पर स्थित कैंटीन किराये पर देने
बारे नियम व शर्तें”

1. कार्यालय के टॉप फ्लोर पर स्थित कैंटीन को किराये पर देने के लिए रिजर्व कीमत 10,000/- रूपये प्रतिमाह निर्धारित की गई है अर्थात् बोली 10,000/- रूपये से आरम्भ की जाएगी।
2. चाय 10/- रूपये प्रति कप, दूध पत्ती व कॉफी 15/- रूपये प्रति कप, बैड पकोड़ा, समोसा, बालूशाही व मट्ठी आदि 10/- रूपये प्रति नग तथा दोपहर के भोजन की थाली का रेट 60/- रूपये प्रति थाली होगा। इसके अतिरिक्त वी.आई.पी. थाली का रेट 100/- रूपये प्रति थाली होगा। दोनों प्रकार की थाली का मैन्सू नगर निगम, करनाल से मन्जूर करवाना होगा।
3. ठेकेदार को उक्त कैंटीन में सभी खाद्य पदार्थों की रेट लिस्ट लगानी होगी व बोर्ड लगाने होंगे। ठेकेदार किसी भी खाद्य पदार्थ के रेट मार्केट रेटों से अधिक चार्ज नहीं करेगा। उल्लंघना की स्थिति में कैंटीन की किरायेदारी रद्द कर दी जाएगी।
4. ठेकेदार को सभी खाद्य पदार्थों को बनाने में साफ-सफाई व गुणवत्ता का ध्यान रखना होगा। खाद्य पदार्थों के गुणवत्ता जाँचने के लिए आयुक्त, नगर निगम, करनाल अथवा उन द्वारा नियुक्त किए गए नगर निगम, करनाल के अन्य अधिकारियों द्वारा किसी भी समय निरीक्षण किया जा सकता है। कमी पाए जाने पर ठेकेदार पर जुर्माना भी किया जा सकता है।
5. उपरोक्त कैंटीन को दो वर्ष की समयाविध के लिए किराये पर दिया जाएगा जिसकी किराया अवधि अलॉटमेंट पत्र जारी होने की तिथि से वैध होगी। द्वितीय वर्ष आरम्भ होने पर वर्तमान किराया राशी में 10 प्रतिशत राशी की बढ़ौतरी की जाएगी। बोली स्वीकृति का अलॉटमेंट पत्र एक वर्ष की बोली की राशि का 25 प्रतिशत भाग नगर निगम, करनाल कोष में जमा होने उपरांत जारी किया जाएगा। 10,000/- रूपये की धरोहर राशि बोली की राशि में समायोजित नहीं की जाएगी।
6. ठेकेदार को कैंटीन में अपने स्वयं के खर्चे पर बिजली की आपूर्ति हेतु एक अलग सब-मीटर लगवाना होगा जिसके बिल की अदायगी ठेकेदार स्वयं नगर निगम, करनाल को समय पर करने का पाबन्द होगा।



7. ठेकेदार उक्त कैंटीन में चाय, काफी व अन्य पेय पदार्थों को सर्व करने के लिए डिस्पोजल व सिंगल यूज प्लास्टिक आदि का प्रयोग नहीं करेगा। अपने आसपास के क्षेत्र की पूर्णतः सफाई की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी।
8. ठेकेदार भारत सरकार के दिशानिर्देशों अनुसार उक्त कैंटीन में पर्याप्त मात्रा में हरे, नीले, काले, लाल व अन्य निर्धारित डस्टबिन रखेगा तथा कूड़े का निष्पादन सरकार के निर्देशानुसार ही करेगा।
9. बोलीदाताओं को बोली आरम्भ होने से पूर्व 10,000/- रुपये की धरोहर राशी **Net Banking & NEFT/RTGS (via Challan)** के माध्यम से <https://auctions.ulbharyana.gov.in> वैबसाईट पर नगर निगम, करनाल कोष में जमा करवानी होगी। सफल बोलीदाता की धरोहर राशी अलाटमेंट अवधि समाप्त होने तक कार्यालय में जमा रहेगी जो अलाटमेंट अवधि समाप्त होने उपरांत बिना ब्याज के लौटा दी जाएगी। जबकि असफल बोलीदाताओं की धरोहर राशी बोली उपरांत ही वापिस कर दी जाएगी।
10. सफल बोलीदाता को बोली मूल्य की 25 प्रतिशत बोली के उपरांत बोली वाले दिन तथा शेष 75 प्रतिशत राशी बोली के 15 दिन के अन्दर-अन्दर नगर निगम, करनाल में जमा करवानी होगी। यदि सफल बोलीदाता 75 प्रतिशत राशी जमा करवाने में विफल रहता है तो उस द्वारा जमा करवाई गई धरोहर राशी व 25 प्रतिशत राशी को जब्त करके बोली को रद्द कर दिया जाएगा।
11. आयुक्त, नगर निगम, करनाल को बिना कोई कारण बताए किराये की अवधि समाप्त करके किरायेदारी रद्द करने अथवा किरायेदारी को आगामी समय तक बढ़ाने का पूर्ण अधिकार होगा।
12. यदि ठेकेदार किराये की अविधि को बीच में समाप्त करता है तो इस संबंध में उसे एक माह पूर्व लिखित रूप में नगर निगम, करनाल को सूचना देनी होगी तथा इस सूरत में ठेकेदार द्वारा जमा करवाई गई धरोहर राशी जब्त कर ली जाएगी।
13. ठेकेदार सभी सरकारी बैठकों में चाय आदि की सर्विस देने का पाबन्द रहेगा चाहे उस दिन अवकाश ही क्यों ना हो। उल्लंघना की स्थिति में किरायेदारी को रद्द किया जा सकता है। इस सर्विस के बदले ठेकेदार को जो सामान बैठक आदि में प्रयोग में लाया जायेगा, उसकी अदायगी की जाएगी।
14. द्वितीय वर्ष का किराया पूर्ण रूप से 10 प्रतिशत वृद्धि सहित प्रथम वर्ष समाप्ति के एक माह पूर्व जमा करना होगा। यदि ठेकेदार यह द्वितीय वर्ष का किराया देने में असफल रहता है तो उस स्थिति में 10,000/- रुपये की धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।
15. किरायेदार/ठेकेदार अपने स्तर पर भवन में किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं करेगा। यदि ऐसी कोई आवश्यकता पड़ती है तो पहले आयुक्त, नगर निगम करनाल से अनुमति प्राप्त करेगा। उल्लंघना की स्थिति में धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।
16. सभी टेबल व कुर्सी किरायेदार को जिस हालत में दी जाएगी उसी हालात में किराया अवधि समाप्ति पर वापिस ली जाएगी, किसी प्रकार के नुकसान के लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा व नगर निगम करनाल को उस वस्तु का मूल्य अदा करेगा।
17. सफल बोलीदाता को नगर निगम, करनाल के नियम व शर्तों बारे नगर निगम, करनाल के साथ 100/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टैम्प पेपर पर किराएनामों का इकरारनामा सम्पन्न करना होगा।
18. तीसरे तल पर स्थित किचन के साथ-साथ, वॉशरूम में लगे सभी वाटरटैप, टायलेट सेट इत्यादि परिपूर्ण, सही व सुचारु कार्य कर रहे हैं, इनमें जितना भी सामान लगा है व जिस कम्पनी का लगा है, ठेकेदार उक्त ठेके/अलॉटमेंट की अवधि की समाप्ति पर सुचारु व सही सलामत हालत में ही वापिस करने का पाबन्ध रहेगा। उल्लंघना की स्थिति में किरायेदारी समाप्त करते हुए

धरोहर राशि भी जब्त कर ली जाएगी। यदि नुकसान की भरपाई नहीं होती तो इसके लिए अन्य कानूनी कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी।

19. ठेकेदार इस कैंटीन को आगे किसी को सबलेट नहीं कर सकता। यदि ऐसा किया तो किराये की राशि व धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी व कैंटीन का कब्जा वापिस ले लिया जायेगा।
20. ठेकेदार द्वारा कैंटीन में, किचन में व शौचालय आदि में पूर्ण रूप से साफ-सफाई रखेगा।
21. आयुक्त, नगर निगम, करनाल को नियम व शर्तों में किसी भी समय संशोधन करने का पूर्ण अधिकार होगा।
22. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर निगम, करनाल का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

हस्ता/-
आयुक्त,
नगर निगम, करनाल।